न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 3360 /विधि सहरसा, दिनांक 22-11-2023

प्रतिलिपिः- भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, निर्मली, सुपौल को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा भूमि विवाद अपीलवाद सं0-83/2019 में दिनांक-14.11.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

प्रतिलिपिः- वीरेन्द्र यादव, पिता-स्व0 गंगा प्रसाद यादव / लाल बिहारी यादव, पिता-मुखलाल मंडल /किशुनलाल यादव, पिता-स्व0 बिकाऊ यादव / राजदेव यादव, पिता-खुशीलाल यादव, सा0-सरोजा बेला, थाना-मरौना, जिला-सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

22/11/23

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत भूमि विवाद अपीलवाद लालबिहारी यादव, पिता-स्व0 मुंशीलाल यादव व किशुनदयाल यादव, पिता-स्व0 बिकाऊ मंडल व राजदेव यादव, पिता-खुशीलाल यादव, सा0-सरोजा बेला, थाना-मरौना, अनुमंडल-निर्मली, जिला-सुपौल द्वारा न्यायालय सक्षम प्राधिकार भूमि विवाद निराकरण-सह-भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, निर्मली, सुपौल के यहाँ भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या-08/2019 में दिनांक-04.10.2019 को पारित आदेश जिसमें उपरोक्त अपीलार्थी निम्न न्यायालय में विपक्षी का दावा अमान्य मानते हुए उनके नाम से कायम समान्तर जमाबंदी को रद्द करने का आदेश पारित किया गया है। प्रस्तुत वाद में बिरेन्द्र यादव, पिता-स्व0 गंगाधर यादव, सा0-सरोजाबेला थाना-मरौना, जिला-सुपौल व राज्य को प्रतिवादी बनाया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत जमीन खाता-536 खेसरा-2517 रकवा-12 धूर तथा खेसरा 2518 रकवा 9 धूर जमीन अपीलार्थी का अर्जित जायदाद है जिसपर पूर्वज के समय से ही अपीलार्थी के खानदान का दखल-कब्जा चला आ रहा है। जिसपर आवासीय घर कायम है वो बिहार सरकार के सिरिस्ता में

अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या–83/2019

लाल बिहारी यादव व अन्य.....अपीलकर्त्ता

–बनाम–

बिरेन्द्र यादव एवं राज्य.....रेसपॉण्डेन्ट

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत भूमि विवाद अपीलवाद लालबिहारी यादव, पिता–स्व0 मुंशीलाल यादव व किशुनदयाल यादव, पिता–स्व0 बिकाऊ मंडल व राजदेव यादव, पिता–खुशीलाल यादव, सा0–सरोजा बेला, थाना–मरौना, अनुमंडल–निर्मली, जिला–सुपौल द्वारा न्यायालय सक्षम प्राधिकार भूमि विवाद निराकरण–सह–भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, निर्मली, सुपौल के यहाँ भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या–08/2019 में दिनांक–04.10.2019 को पारित आदेश जिसमें उपरोक्त अपीलार्थी निम्न न्यायालय में विपक्षी का दावा अमान्य मानते हुए उनके नाम से कायम समान्तर जमाबंदी को रद्द करने का आदेश पारित किया गया है। प्रस्तुत वाद में बिरेन्द्र यादव, पिता–स्व0 गंगाधर यादव, सा0–सरोजाबेला थाना–मरौना, जिला–सुपौल व राज्य को प्रतिवादी बनाया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत जमीन खाता–536 खेसरा–2517 रकवा–12 धूर तथा खेसरा 2518 रकवा 9 धूर जमीन अपीलार्थी का अर्जित जायदाद है जिसपर पूर्वज के समय से ही अपीलार्थी के खानदान का दखल–कब्जा चला आ रहा है। जिसपर आवासीय घर कायम है वो बिहार सरकार के सिरिस्ता में

जमाबंदी नं0-1425 कायम होकर अद्यतन मालगुजारी रसीद रेंट बिल हासिल होते आ रहा है। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा अपने जजमेंट में विवादी भूमि के निश्वत विपक्षी का जमाबंदी नं0-536 एवं अपीलार्थी का जमाबंदी नं0-1425 यानि समानान्तर जमाबंदी दर्ज होने का जिक्र किये हैं। इस तरह जब तक सक्षम न्यायालय में दोनों पक्षों के बीच स्वामित्व संबंधी स्पष्टीकरण नहीं हो जाता है तब तक विवादी जमीन का सही मालिकाना हक के संबंध में अपीलार्थी के विवादी जमीन से बेदखल कर विपक्षी को कब्जा दिलाने का आदेश बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है और आदेश खारिज योग्य है।

प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रतिवादी के पूर्वज के नाम जमाबंदी सं0-536 जमींदारी काल से परिचालित है तथा जमींदारी उन्मूलन पश्चात रिटर्न प्रतिवादी के पूर्वज जयलाल यादव के नाम दिया गया है। पंजी-ii भी जमाबंदी सं0-536 जयलाल यादव के नाम अंकित है राज दरभंगा के अभिलेखागार से प्राप्त अभिप्रमाणित प्रति में जमाबंदी-536 में प्रश्नगत खेसरा-2517 के साथ-साथ अन्य खेसराओं का उल्लेख है। खेसरा 2518 पर प्रतिवादी के पूर्वज का नाम सर्वे खतियान के कैफियत कॉलम में मकान के रूप में इन्द्राजीत है। हाल सर्वे का खाता-955 खेसरा 3686 रकवा 20 डिसमिल प्रतिवादी के पूर्वज जयलाल यादव के नाम इन्द्राजीत है। वादी द्वारा **प्रश्नगत जमीन पर दखल-कब्जा दिखा रहे हैं लेकिन उनके द्वारा निम्न** न्यायालय में भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके और न ही यह बता सके कि प्रश्नगत जमीन वादी के पूर्वज को किस प्रकार प्राप्त हुआ। प्रतिवादी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन को लेकर हुए विवाद के कारण पंचायत में भी वादी द्वारा किसी तरह का जमीन संबंधी प्रमाण नहीं दिखा सके। प्रतिवादी का कथन है कि इनका जमाबंदी सं0-536 के समानान्तर बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के हल्का कर्मचारी की मनमर्जी मुताबिक वादी का नाम पंजी-ii में डाल दिया गया है। जिसको निम्न न्यायालय द्वारा गंभीरता पूर्वक लेते हुए प्रतिवादी के जमाबंदी सं0-536 को मान्य करार देते हुए समानान्तर जमाबंदी 1425 का रद्दीकरण की दिशा में कार्रवाई करने का निदेश अंचल अधिकारी मरौना, सुपौल को दिया गया है, जो नियमानुकूल है। अतः वादी का वाद बिल्कुल खारिज योग्य है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत

उपर्युक्त तथ्यों, उनके द्वारा समर्पित साक्ष्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख/संचिका के परिशीलनोंपरांत परिलक्षित होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियमानुकूल एवं न्यायसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थी के अपीलवाद को खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका/अभिलेख संबंधित कार्यालय को वापस करें।

14/11/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

14/11/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।